गोंदिया-जबलपुर लाइन

1482. श्री सत्यनारायण जाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गोंदिया-जबलपुर और बालाघाट टिरोडी बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी नहीं । 1980 की सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच से ज्ञात हुआ है कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और तिरोडी तक बढ़ाने का पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

Jhajjar—Rewari line

1483. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to construct a Railway line from Jhajjar to Rewari in Haryana State;

(b) if so, whether the survey has also been conducted; and

(c) if so, the time by which the work on the project will start?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). No.

(c) Does not arise.

Gate Signals at Gate No. C-24 at Jaitsar

1484. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the provision of gate signals at gate No. C-24 at Jaitsar, Bikaner Division, Northern Railway has been sanctioned and signal posts fixed about a year back;

(b) if so, why the work has not been completed so far;

(c) whether a demand for providing telephone line between Sarupsar and Jaitsar Stations for this purpose was placed by the Railways to the Divisional Engineers (Telegraph) on 25th November, 1980;

(d) if so, whether the telephone line has since been provided; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, the estimate was sanctioned and signal post was also erected in September, 1980.

(b) The work is held up due to non-availability of some important materials.

(c) Yes.

(d) No.

(e) The estimate is under preparation by P & T Department and materials are being arranged.

मलेशिया में हवाई अड्डों तथा रेलों का विकास

1485. श्री राम प्यारे पनिका : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मलेशिया में हवाई अड्डों तथा रेलों के विकास के लिए मलेशिया सरकार को कोई पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलेशिया सरकार के साथ इस बारे में कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

भारत सरकार ने निम्नलिखित मामलों में मलेशियाई अधिकारियों को सहयोग देने की पेशकश की है :—

(i) हवाई पत्तन—भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण द्वारा ।

(ii) रेलवे—रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड (रेल-इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड) ।

(ख) जी हां ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण और रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने समकक्ष मलेशियाई अधिकारियों से वार्ता की है तथा राजनयिक माध्यमों से भी बातचीत हुई है ।

(ग) यद्यपि रेल-भारत तकनीकी व आर्थिक सेवा लिमिटेड और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण द्वारा काम पाने के लिए बातचीत चल रही है, इन दोनों संगठनों को आशा है कि वे मलेशियाई अधिकारियों के साथ फलप्रद सहयोग कर सकेंगे । मलेशियाई रेल अधिकारियों को 'इरकोन' द्वारा की गई पेशकश पर विचार किया जा रहा है । दोनों देशों के परस्पर लाभार्थ सिबु हवाई पत्तन के निर्माण के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष अधिकारियों की ओर से सहयोग संबंधी अद्यतन प्रस्ताव, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

उगांडा से निष्कासित भारतीय

1486 श्री तारिक अनवर :
श्री होरा लाल आर० परमार :
श्री केशव राव पारधी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा से निष्कासित गैर-निवासी भारतीयों के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का कालानुक्रमिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). अमीन शासन के दौरान भारतीय मूल के उगांडाई राष्ट्रिकों को निष्कासित किए जाने के प्रश्न को उस देश की स्वतन्त्रता के बाद उगांडा सरकार के साथ उठाया गया था । उगांडा सरकार ने बताया है कि भारतीय मूल के ऐसे सभी उगांडाई राष्ट्रिकों की वापसी का स्वागत है और उन के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो अन्य उगांडाई राष्ट्रिकों के साथ किया जाएगा । लेकिन 19 मई, 1979 को तत्कालीन राष्ट्रपति यूसुफ लुले ने कहा था कि उन की सरकार उन परिसरों और व्यापारों का गैर-अफ्रीकीकरण नहीं करेगी और न कर सकती है जिन्हें उगांडियों द्वारा ले लिया गया है ।

जहां तक उगांडा से निष्कासित किए गए भारतीय राष्ट्रिकों का संबंध है उगांडा और भारत की सरकारों ने इन लोगों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति तथा अन्य परिसम्पत्तियों के लिए 1975 में एक मुआवजा समझौता किया गया था । चूंकि 1972 में निष्कासित किए गए इन भारतीय राष्ट्रिकों